

# कार्यालय गन्ना विकास परिषद, फरीदपुर (बरेली)

पत्रांक 213 / निर्माण / दिनांक 11-11 2017

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (ई-प्रोक्वोरमेन्ट सूचना)

गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ की ओर से मंत्री, गन्ना विकास परिषद फरीदपुर जनपद बरेली द्वारा गन्ना विकास विभाग एवं समस्त राजकीय विभागों में सड़क निर्माण कार्य हेतु विभिन्न समतुल्य श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रतिशत दर पर आनलाईन <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	टेण्डर लागत (ला०रु०)	धरोहर धनराशि लाख. रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य (स्टेशनरी+ निविदा मूल्य 18% जी.एस.टी. सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	मंत्री गन्ना विकास परिषद का पता	जिला गन्ना अधिकारी का पता	उप गन्ना आयुक्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>विशेष मरम्मत-</b>									
1	शाहपुर बनियान सलेमपुर से हसनगंज	1.000	10.150	1.050	500+1000+180	30.11.17	ग.वि.प.फरीदपुर	जि.ग.अ.बरेली	उ.ग.आ.बरेली
2	खटेली तिराहे से मेवा सरफापुर	0.975	8.560	0.900	500+500+90	30.11.17	ग.वि.प.फरीदपुर	जि.ग.अ.बरेली	उ.ग.आ.बरेली
<b>सुदृढीकरण-</b>									
3	बिधौली से पृथ्वीपुर मार्ग	0.800	13.270	1.350	500+1000+180	30.11.17	ग.वि.प.फरीदपुर	जि.ग.अ.बरेली	उ.ग.आ.बरेली
4	फरीदपुर ब्रान्च कैनल प्रथम भाग	2.500	37.290	3.750	500+1000+180	30.11.17	ग.वि.प.फरीदपुर	जि.ग.अ.बरेली	उ.ग.आ.बरेली
5	फरीदपुर ब्रान्च कैनल द्वितीय भाग	2.500	37.350	3.750	500+1000+180	30.11.17	ग.वि.प.फरीदपुर	जि.ग.अ.बरेली	उ.ग.आ.बरेली

1- ई-प्रोक्वोरमेन्ट माध्यम से निविदा प्रकाशित होने की तिथि 16.11.2017

2-प्रत्येक निविदा के साथ निविदा सूचना की तालिका में कालम न. 6 के अनुसार अप्रत्यापणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त धनराशि के लिए मंत्री, गन्ना विकास परिषद, फरीदपुर के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी अंकित कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 16.11.17 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 22.11.2017 सायं 5:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।

3- बिड डोक्यूमेन्ट की उपलब्धता एवं बिड-सबमिट करने का माध्यम-

(क)- बिड डोक्यूमेन्ट आन-लाइन दिनांक 16.11.17 से दिनांक 22.11.17 तक उपलब्ध है जो आन-लाईन <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 22.11.17 को सायं 5:00 बजे तक सबमिट किया जायेगा, तथा फाईनैशियल बिड दिनांक 23.11.17 को अपरान्ह 02:00 बजे से कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी जनपद बरेली में खोली जायेगी।

(ख)- निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो नि:शुल्क है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग द्वारा जारी वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।

4- निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रीबिड बैठक दिनांक 18.11.17 को जिला गन्ना अधिकारी बरेली के कार्यालय में 12:00 बजे दोपहर आयोजित की जायेगी। जिसमें कार्य से सम्बन्धित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकती है।

5- निविदा को गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों को जिस लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई.डी. संख्या (जो आन-लाईन निविदा सबमिट करने पर वेबसाइट द्वारा प्रजनित होती है) एवं कार्य का नाम ही अंकित की जायेगी इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अथवा अपनी फर्म का नाम अंकित नहीं किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमंत्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

6- निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त निविदा के कालम सं० 08 में दर्शाये गये किसी भी कार्यालय में दिनांक 22.11.17 सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नॉन रेस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमंत्रितकर्ता / विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

(क)- निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(ख)- धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेंट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैध होनी चाहिए। जोकि मंत्री, गन्ना विकास परिषद फरीदपुर जनपद बरेली के पक्ष में बन्धक होगा। बैंक गारण्टी मान्य नहीं होगी। अनु. जाति/ज. जाति के पंजीकृत ठेकेदारों को धरोहर धनराशि शा.सं. 3480/23.07.08- 41 एम.एस.ए./54 टी.सी.-।।। अनुभाग-7 दिनांक 28.07.08 के अनुपालन में अनुमानित लागत (कॉलम-5) का 2% ही संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग)- बिड डाक्यूमेंट के आई0टी0बी0 के अनुरूप समस्त शपथ पत्र-मूल में।

(घ)- निविदा कर्ता का समतुल्य श्रेणी में पंजीकरण की मूल प्रति।

7- आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई निविदाकर्ता गन्ना विकास विभाग में जहां उनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्नी का निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उनकी पत्नी) कार्य करने के योग्य नहीं होंगे। निविदाकर्ता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके संबंधियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा, जो कि गन्ना विकास विभाग के कार्यालय में कार्यरत हो।

8- आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिए प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

9- निविदा से सम्बन्धित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग, विशिष्टियां, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है को सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलम 08 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक दिनांक 16.11.17 से दिनांक 22.11.17 तक देख जा सकता है।

10- निविदादाता को यह परामर्श दिया जाता है कि वो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्य स्थल की जांच करने के साथ-साथ ही निर्माण कार्यों के सवाल भी देख ले, यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्होंने कार्यक्षेत्र, स्थानीय दशाओं, रेखाचित्र, विशेष विवरणों, संविदा शर्तों आदि से परिचित कर लिया है।

11- कोई भी निविदा कर्ता जिसका अपराधिक रिकार्ड है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबन्धित है।

12- ऐसे निविदाकर्ता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे)

13- निविदादाता को निविदा की वैधता हेतु निविदा के साथ रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14- निविदादाता को निविदा के साथ निविदाप्रपत्र के 'सेक्शन 3' के अनुसार रू0 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑन लाइन एवं मूल में देना अनिवार्य है।

15- निविदाकर्ता द्वारा सभी सूचना/डाक्यूमेंट निर्धारित प्रपत्र (सीडीडी-टी-4, सीडीडी-टी-5, सीडीडी-टी-6) में प्रत्येक निविदा के साथ सक्षम अधिकृत हस्ताक्षर से सत्यापित कराकर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

16- कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है। जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

17- शासनादेश सं0 6738/23-07-2006-176(एल0के0ओ0)/06 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है। परन्तु निदेशक सूचना एवं सम्यक विभाग उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित किया गया है। किसी प्रकार की भिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा की निविदा सूचना अन्तिम मानी जायेगी।

18- कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर लेबर सेस एवं अन्य आरोपित करों की कटौती की जायेगी।

19- कार्य की मात्राये घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

20- निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों/T.A.C. द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

21- अनुबन्ध गठन के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

22- शासनादेश संख्या 622/23.12.2012-02 आडिट/08, टी.एस.-02, दिनांक 08.08.2012 के आदेशानुसार प्रतिशत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न प्रकार देय होगा।

(क)- 10 प्रतिशत कम दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

(ख)- 10 प्रतिशत अधिक दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

23- गन्ना आयुक्त स्तर से समय-समय पर जारी अथवा जारी किये जाने वाले निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

24- विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

25- निविदा कर्ता द्वारा समतुल्य श्रेणी में कराये गये पंजीकरण की मूल प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।

26- निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिये डिफेक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 2 वर्ष बाद तक की होगी।

27- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा एम0ओ0आर0डी0 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।


28- समस्त दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी एवं लामांश सम्मिलित हैं।

कार्यालय गन्ना विकास परिषद, फरीदपुर (मंत्रालय)


पत्रांक 213 / निर्माण दिनांक 11-11-2017

को अन्तर्गत के विषय में निर्माण कार्य शुरू है (सूचना)

- 29- ठेकेदार को रायल्टी भुगतान का यथाचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में रायल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्त्र दलों के अनुसार ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।  
 30- गन्ना-प्लांट सिस्टम में रुकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिये निविदा आगत्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।  
 31- कार्यदेश प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त ही जारी किये जायेंगे।

  
अवर अभियन्ता

गन्ना विकास परिषद फरीदपुर

  
मंत्री,

गन्ना विकास परिषद फरीदपुर

कार्यालय गन्ना विकास परिषद फरीदपुर जनपद बरेली।

पत्रांक 213 / निर्माण

दिनांक 11-11-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सहायक अभियन्ता, गन्ना विकास विभाग, बरेली।
- 2- जिला गन्ना अधिकारी, बरेली।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता/अधिरासी अभियन्ता, परिक्षेत्र बरेली।
- 4- सयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र बरेली।
- 5- अधिरासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बरेली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया लोनिवि के अन्य खण्डों को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 6- जिला पचायत, बरेली।
- 7- नगर पालिका बरेली।
- 8- उप निदेशक मण्डी बरेली।
- 9- मुख्य अभियन्ता कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- माटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।

  
मंत्री,

गन्ना विकास परिषद फरीदपुर